दिनांक 02.05.2023
प्रेस विज्ञप्ति 02/2023

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

<u>जनपद बागपत/थाना कोतवाली बागपत</u>

- **10 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**

दिनॉक 02.05.2023 को थाना कोतवाली बागपत पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर पुरस्कार घोषित अभियुक्त अकरम को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय गिरफ्तार अभियुक्त थाना कोतवाली बागपत पर पजीकृत अभियोग धारा 2/3 गैंगेस्टर एक्ट में वॉछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 10 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1–अकरम निवासी मोहल्ला शेखपुर खिचरा पछैय्या थाना धौलाना जनपद हापुड़।

<u>जनपद सोनभद्र/थाना घोरावल</u>

- **01 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लूट के 10 हजार 370 रूपये नगद बरामद**

दिनॉकः 01.05.2023 को थाना घोरावल पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर खुटहां गड़हहिया मोड़ से अभियुक्त बुद्धिराज को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से लूट के 10 हजार 370 रूपये नगद बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि दिनॉकः 29.04.2023 को थाना घोरावल क्षेत्र से अज्ञात बदमाशों द्वारा लूट की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना घोरावल पर

धारा 392 भादवि का अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्त की गिरफ्तारी व माल की बरामदगी के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्त से बरामद रूपये उक्त घटना से सम्बन्धित हैं।

इस सम्बन्ध में थाना घोरावल पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–बुद्धिराज निवासी ग्राम खुटहां थाना घोरावल जनपद सोनभद्र।

बरामदगी

1–लूट के 10 हजार 370 रूपये नगद।

जनपद हरदोई/थाना कोतवाली शहर

- **पुलिस कार्यवाही में 02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी की 02 कार**
- **02 अवैध तमंचा मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद**

दिनाकः 01.05.2023 को थाना कोतवाली शहर पुलिस टीम द्वारासूचना के आधार पर सदई–बेहटा रोड पर चेकिंग के दौरान पुलिस कार्यवाही में 02 अभियुक्तों 1–बब्लू 2–राजाराम को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के चोरी की 02 कार, 02 अवैध तमंचा मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद हुए।

इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली शहर पुलिस द्वारार अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–बब्लू निवासी ग्राम भिरिया थाना पिहानी जनपद हरदोई।

2–राजाराम निवासी ग्राम भिरिया थाना पिहानी जनपद हरदोई।

बरामदगी

1–चोरी की 02 कार।

2–02 अवैध तमंचा मय जीवित/खोखा कारतूस।

जनपद मुजफ्फरनगर/थाना चरथावल

- **अवैध शस्त्र फैक्ट्री संचालित कर रहे 06 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **133 निर्मित/अर्द्धनिर्मित अवैध शस्त्र विभिन्न बोर**
- **09 जीवित, 37 खोखा कारतूस विभिन्न बोर**
- **122 नाल**
- **अवैध शस्त्र बनाने के भारी मात्रा में उपकरण व पुर्जे आदि**
- **02 मोटर साइकिल बरामद**

दिनॉकः 02.05.2023 को थाना चरथावल व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर खुसरोपुर रोड पर बन्द पड़े भट्टे से अवैध शस्त्र फैक्ट्री संचालित कर रहे 06 अभियुक्तों 1—इकबाल 2—गोपाल 3—सुभाष 4—इरफान 5—गोपाल 6—जयपाल को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से 133 निर्मित/अर्द्धनिर्मित अवैध शस्त्र विभिन्न बोर, 09 जीवित, 37 खोखा कारतूस विभिन्न बोर, 122 नाल, अवैध शस्त्र बनाने के भारी मात्रा में उपकरण व पुर्जे आदि, 02 मोटर साइकिल बरामद हुई।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त गोपाल के विरूद्ध जनपद मुजफ्फरनगर के विभिन्न थानों पर हत्या का प्रयास, आर्म्स एक्ट, गैगेस्टर एक्ट आदि के 09 अभियोग, अभियुक्त इकबाल के विरूद्ध जनपद मुजफ्फरनगर के विभिन्न थानों पर हत्या का प्रयास, आर्म्स एक्ट, गुण्डा एक्ट, गैंगेस्टर एक्ट आदि के 08 अभियोग व अभियुक्त इरफान के विरूद्ध जनपद मुजफ्फरनगर, मेरठ के विभिन्न थानों पर आर्म्स एक्ट के 04 अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना चरथावल पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—इकबाल निवासी ग्राम तितावो थाना तितावो जनपद मुजफ्फरनगर।

2—गोपाल निवासी ग्राम बढीवाला थाना छपार जनपद मुजफ्फरनगर।

3–सुभाष निवासी ग्राम शाहपुर जनपद मुजफ्फरनगर।

4–इरफान निवासी ग्राम कैली थाना दौराला जनपद मेरठ।

5–गोपाल निवासी ग्राम नंगला अजडी थाना फलावदा जनपद मेरठ।

6–जयपाल निवासी ग्राम नंगली थाना दौराला जनपद मेरठ।

बरामदगी

1–133 निर्मित/अर्द्धनिर्मित अवैध शस्त्र विभिन्न बोर।

2–09 जीवित, 37 खोखा कारतूस विभिन्न बोर।

3–122 नाल।

4–अवैध शस्त्र बनाने के भारी मात्रा में उपकरण व पुर्जे आदि।

02 मोटर साइकिल।

जनपद हापुड़/थाना धौलाना

- **अवैध शस्त्र फैक्ट्री संचालित कर रहे 03 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **30 निर्मित/अर्द्ध निर्मित अवैध शस्त्र विभिन्न बोर**
- **23 नाल विभिन्न बोर**
- **अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण व पुर्जे आदि बरामद**

दिनांक 02.05.2023 को थाना धौलाना पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर बीएन धर्मकांटा के पास से अवैध शस्त्र फैक्ट्री संचालित कर रहे 03 अभियुक्तों 1–शहजाद 2–अफजाल 3–शहजाद उर्फ मुण्डरी को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से 30 निर्मित/अर्द्ध निर्मित अवैध शस्त्र विभिन्न बोर, 23 नाल विभिन्न बोर, अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण व पुर्जे आदि बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं, जिसमें अभियुक्त शहजाद के विरूद्ध जनपद हापुड़ कमिश्नरेट गाजियाबाद के विभिन्न थानो में हत्या का प्रयास, चोरी, गैंगेस्टर एक्ट, सीएस एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि के 22 अभियोग, अभियुक्त अफजाल के विरूद्ध जनपद हापुड़ के विभिन्न थानो में हत्या का प्रयास, चोरी,

आर्म्स एक्ट आदि के 07 अभियोग एवं अभियुक्त शहजाद उर्फ मुण्डरी के विरूद्ध जनपद हापुड़ के विभिन्न थानो में चोरी, आबकारी एक्ट, सीएस एक्ट आदि के 08 अभियोग पंजीकृत है।

इस सम्बन्ध में थाना धौलाना पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–शहजाद निवासी शेखपुर खिचरा थाना धौलाना जनपद हापुड़।

2–अफजाल निवासी शेखपुर खिचरा थाना धौलाना जनपद हापुड़।

3–शहजाद उर्फ मुण्डरी निवासी शेखपुर खिचरा थाना धौलाना जनपद हापुड़।

बरामदगी

1–30 निर्मित/अर्द्ध निर्मित अवैध शस्त्र विभिन्न बोर।

2–23 नाल विभिन्न बोर।

3–अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण व पुर्जे आदि।

जनपद बरेली/थाना सीबीगंज

- **04 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लगभग 25 लाख रूपये कीमत के 510 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब**
- **01 लाख 10 हजार रूपये नगद**
- **01 वलेनो कार, 01 ट्रक, 02 फर्जी नम्बर प्लेट**
- **02 मोबाइल फोन बरामद**

दिनॉकः 01.05.2023 को थाना सीबीगंज, क्राइम ब्रान्च व आबकारी विभाग की संयुक्त टीम द्वारा सूचना के आधार पर रामपुर रोड पर शिफा होटल के आगे से 04 अभियुक्तों 1–अमर 2–नितिन 3–विकास 4–मनोज कुमार को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लगभग 25 लाख रूपये कीमत के 510 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब, 01 लाख 10 हजार रूपये नगद, 01 वलेनो कार, 01 ट्रक, 02 फर्जी नम्बर प्लेट, 02 मोबाइल फोन बरामद हुये।

इस सम्बन्ध में थाना सीबीगंज पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–अमर निवासी कुआं खेड़ा थाना विलासपुर जनपद रामपुर।

2–नितिन निवासी नकटिया थाना कैन्ट जनपद बरेली।

3–विकास निवासी डिफेन्स कालोनी नकटिया थाना कैन्ट जनपद बरेली।

4–मनोज कुमार निवासी जयन्त इॅक्लेब नकटिया थाना कैन्ट जनपद बरेली।

बरामदगी

1–लगभग 25 लाख रूपये कीमत के 510 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब।

2–01 लाख 10 हजार रूपये नगद।

3–01 वलेनो कार, 01 ट्रक, 02 फर्जी नम्बर प्लेट।

4–02 मोबाइल फोन।

जनपद कुशीनगर/थाना तरया सुजान

- **02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लगभग 22 लाख रूपये कीमत के 102 किलोग्राम अवैध गांजा**
- **घटना में प्रयुक्त कंटेनर वाहन बरामद**

दिनॉकः 01.05.2023 को थाना तरया सुजान पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर नेशनल हाईवे एनएच 28 पर सलेमगढ टोल प्लाजा के पास से 02 अभियुक्तों 1–प्रेमपाल 2–जनवेश को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लगभग 22 लाख रूपये कीमत के 102 किलोग्राम अवैध गांजा, घटना में प्रयुक्त कंटेनर वाहन बरामद हुये।

इस सम्बन्ध में थाना तरया सुजान पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—प्रेमपाल निवासी ग्राम अतिकउल्लाहपुर थाना करहल जनपद मैनपुरी।

2—जनवेश निवासी ग्राम कमालपुर थाना देवर जनपद मैनपुरी।

बरामदगी

1—लगभग 22 लाख रूपये कीमत के 102 किलोग्राम अवैध गांजा।

2—घटना में प्रयुक्त कंटेनर वाहन।

जनपद बांदा/थाना बिसण्डा

- **अवैध शस्त्र फैक्ट्री संचालित कर रहे 02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **25 निर्मित/अर्द्धनिर्मित अवैध शस्त्र विभिन्न बोर**
- **02 जीवित, 02 खोखा कारतूस 315 बोर**
- **अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण व पुर्जे बरामद**

दिनॉकः 01/02.04.2023 की रात्रि थाना बिसण्डा पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर ग्राम थनैल से अवैध शस्त्र फैक्ट्री संचालित कर रहे 02 अभियुक्तों 1—मुन्नीलाल 2—राजेश को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से 25 निर्मित/अर्द्धनिर्मित अवैध शस्त्र विभिन्न बोर, 02 जीवित, 02 खोखा कारतूस 315 बोर, अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण व पुर्जे बरामद हुये।

इस सम्बन्ध में थाना बिसण्डा पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—मुन्नीलाल निवासी ग्राम थनैल थाना बिसण्डा जनपद बांदा।

2—राजेश निवासी ग्राम थनैल थाना बिसण्डा जनपद बांदा।

बरामदगी

1—25 निर्मित/अर्द्धनिर्मित अवैध शस्त्र विभिन्न बोर।

2—02 जीवित, 02 खोखा कारतूस 315 बोर।

3—अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण व पुर्जे।

जनपद भदोही/थाना गोपीगंज

- **03 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **92 किलो 500 ग्राम अवैध गांजा**
- **घटना में प्रयुक्त 01 चार पहिया वाहन बरामद**

दिनॉकः 01/02.05.2023 को थाना गोपीगंज पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर ककराही रेलवे क्रासिंग के पास चेकिंग के दौरान 03 अभियुक्तों 1–चद्रदेव 2–महेंद्र कुमार 3–आशीष कुमार को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से 92 किलो 500 ग्राम अवैध गांजा, घटना में प्रयुक्त 01 चार पहिया वाहन बरामद हुये।

इस सम्बन्ध में थाना गोपीगंज पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1–चंद्रदेव निवासी चक नारायनपुर थाना बरसठी जनपद जौनपुर।

2–महेंद्र निवासी खण्डवा थाना बरसठी जनपद जौनपुर।

3–आशीष कुमार निवासी खण्डवा थाना बरसठी जनपद जौनपुर।

<u>बरामदगी</u>

1–92 किलो 500 ग्राम अवैध गांजा।

2–घटना में प्रयुक्त 01 चार पहिया वाहन।

- **<u>जनपद रायबरेली/थाना बछरावां (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 28 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद रायबरेली पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/पॉक्सो एक्ट द्वितीय जनपद रायबरेली द्वारा थाना बछरावां पर पंजीकृत अभियोग में धारा 323/506/376(झ) भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त सैनी उर्फ सोनू को आजीवन कारावास व 28 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद बाराबंकी/थाना असन्द्रा (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 04 अभियुक्तो को आजीवन कारावास की सजा व 10—10 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद बाराबंकी पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/एफटीसी कोर्ट संख्या—36 जनपद बाराबंकी द्वारा थाना असन्द्रा पर पंजीकृत अभियोग में धारा 304बी/498ए भादवि व 4 डीपी एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त 1—रामशंकर 2—हरिशंकर उर्फ पप्पू 3—शिवशंकर उर्फ श्याम 4—अभियुक्ता को आजीवन कारावास व 10—10 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद बाराबंकी/थाना कोठी (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 07 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 20 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद बाराबंकी पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) कोर्ट संख्या—44 जनपद बाराबंकी द्वारा थाना कोठी पर पंजीकृत अभियोग में धारा 376 भादवि व 3/4 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त विनोद का 07 वर्ष के कठोर कारावास व 20 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

—————